

©

FORM NO. III

फर्ड अहकाम

2021/55

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

राम कलशरी वर्मा

बनाम

राजेश

किस्म मुकदमा

128 RUA

नं.

32/21

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/4/21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>पारसोली</u>..... ग्राम.....<u>पारसोली</u>.....की आ.न. 706, 707, 708, 709, 710, 711. की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

